न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –06 / 2019 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2019/00252

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

श्री पवन कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी अरिहन्त स्कूल के पीछे रंगबाडी, कोटा

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बावत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांकः–1504.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि रंगबाडी स्थित एक मकान में पुलिस थाना महावीर नगर द्वारा एक नकली मिल्क केक बनाने का कारखाना पकडी गया है तथा इसी कारखाने में कुछ घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखे हुए है । मौके पर CMHO के खाद्य सुरक्षा अधिकारी व महावीर नगर थाने के अधिकारीगण कार्यवाही कर रहे थे । अरिहन्त स्कूल के पीछे स्थित रंगबाडी के मकान में मौके पर पांच घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए पाए गए । मौके पर श्री पवन कुमार, निवासी अरिहन्त स्कूल के पीछे, रंगबाडी उपस्थित मिले, जिन्होने इन सिलेण्डरों को कारखाने में इस्तेमाल करना बताया । यह कारखाना भी श्री पवन कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी रंगबाडी के द्वारा ही चलाया जाना इनके द्वारा बताया गया । मौके पर ही इन घरेलू गैस सिलेण्डर्स के कागजात वगै0 चाहने पर इनके द्वारा किसी भी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए । इन घरेलू गैस सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

क. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	T.wt	G.wt	N.wt
1	HPCL	234002	15.5 Kg	21.00 Kg	5.5 Kg
2	HPCL	452824	15.8 Kg	15.8 Kg	0.00 Kg
3	BPCL	448095	15.4 Kg	26.00 Kg	9.6 Kg
4	IOCL	270475	15.8 Kg	15.8 Kg	0.00 Kg
5	IOCL	801051	15.6 Kg	15.6 Kg	0.00 Kg

इन घरेलू गैस सिलेण्डर की कुल कीमत 7877 / – (1450 सिक्यूरिटी प्रति सिलेण्डर तथा 624 / – गैस की कीमत) है । इस प्रकार पवन कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी रंगबाडी कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण व व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(1)(ए), (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल इस आशय की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि पवन कुमार के दिये गये पते पर जाकर मालुमात की तो पवन कुमार पुत्र बाबूलाल नाम का कोई नहीं रहना बताया । प्रकरण पांच वर्ष से अधिक समय का है, अप्रार्थी की तामिल नहीं हो पा रही है तथा दिये गये पते पर नहीं रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु पेरोकार सरकार की बहस सुनी ।

3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर पवन कुमार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6—ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर पवन कुमार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश चाहे गये है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का संग्रहण किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ़ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधो का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाने योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम ग़ैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscate किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

6. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा